



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन 1947 (श10)
(सं० पटना 278) पटना, सोमवार, 16 मार्च 2026

सं० वा0सं0नि0 (योजना) 09-17 / 2025-301
सिविल विमानन विभाग

संकल्प

02 मार्च 2026

विषय— बिहार में नये अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने के लिए नीति में आवश्यक संशोधन किये जाने के संबंध में।

जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना और गया अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया से नई अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने हेतु भारतीय विमानन कम्पनियों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF) के तहत मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए 'नये अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति' पर दिनांक-26.08.2025 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस संबंध में संकल्प संख्या-532 दिनांक-02.09.2025 निर्गत है। इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन, व्यापक स्वीकार्यता एवं अधिक से अधिक संख्या में विमानन कम्पनियों को आकर्षित करने हेतु तथा पूर्व के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से पृथक सिविल विमानन विभाग के गठन के आलोक में 'नये अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति' के कतिपय कड़िकाओं में वर्णित प्रावधानों में संशोधन किया गया है। नीति के शेष अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

2. नये अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति में किये गये संशोधन :-

क्र०	नीति में पूर्व के प्रावधान	संशोधित नीति के प्रावधान
1.	4. नीति रूपरेखा : (ख) उच्च स्तरीय समिति (High Level Committee) नीति के नियमन, कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों के अनुसार वित्तीय सहायता की राशि निर्धारित करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति (High Level Committee) का निम्नानुसार गठन किया गया है :- I. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल	4. नीति रूपरेखा : (ख) उच्च स्तरीय समिति (High Level Committee) नीति के नियमन, कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों के अनुसार वित्तीय सहायता की राशि निर्धारित करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति (High Level Committee) का निम्नानुसार गठन किया गया है :- I. मुख्य सचिव – अध्यक्ष

क्र०	नीति में पूर्व के प्रावधान	संशोधित नीति के प्रावधान
	सचिवालय विभाग — अध्यक्ष II. सचिव (व्यय), वित्त विभाग — सदस्य III. निदेशक, वायुयान संगठन निदेशालय — सदस्य IV. प्रशासी पदाधिकारी, वायुयान संगठन निदेशालय — सदस्य सचिव	II. सचिव (व्यय), वित्त विभाग — सदस्य III. सचिव, सिविल विमानन विभाग — सदस्य
2.	4. नीति रूपरेखा : (घ) वित्तीय सहायता तंत्र iii- अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता (व्यवहार्यता अंतर निधि) की राशि निम्नानुसार होगी : — 1. पटना—काठमांडू (यात्री क्षमता : न्यूनतम 150 यात्री) — ₹5,00,000 प्रति राउंड ट्रिप अधिकतम	4. नीति रूपरेखा : (घ) वित्तीय सहायता तंत्र iii- अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता (व्यवहार्यता अंतर निधि) की राशि निम्नानुसार होगी : — 1. पटना—काठमांडू (यात्री क्षमता: न्यूनतम 150 यात्री) — ₹5,00,000 प्रति राउंड ट्रिप अधिकतम के अतिरिक्त ATR-72 या Q-400 जैसे छोटे विमान हेतु वी0जी0एफ0 (Viability Gap Funding) की राशि ₹2,50,000 प्रति राउंड ट्रिप अधिकतम ।

3. इस संबंध में पूर्व से निर्गत संकल्प संख्या-532 दिनांक-02.09.2025 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4. नये अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति में किये गये उपरोक्त संशोधनों की स्वीकृति के प्रस्ताव पर दिनांक 20.02.2026 को मद संख्या 21 के रूप में मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

5. उपरोक्त वर्णित संशोधित प्रावधान संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 278-571+10-डी0टी0पी01

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>